अनुदान संख्या 14 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	259,59,00			
			295,85,00	262,92,66	-32,92,34
पूरक	Supplementary	36,26,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				32,90,58
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	28,07,00			
			50,41,00	48,64,82	-1,76,18
पूरक	Supplementary	22,34,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,76,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, समग्र बचतें (₹3292.34 लाख) दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹3626.00 लाख की पूरक अनुदानों का 91 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत है।

बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, the overall savings (₹3292.34 lakhs) constituted 91 percent of the supplementary grants of ₹3626.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	800.00			
पू.	S	335.00	..	..	..
पु.	R.	-1135.00			
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	6312.00			
पू.	S	417.00	5926.45	5926.34	-0.11
पु.	R.	-802.55			
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	13805.00			
पू.	S	2680.00	15310.75	15310.12	-0.63
पु.	R.	-1174.25			

(I) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹1136.00 लाख (₹335.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा इनमें से ₹825.00 लाख (₹330.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण मुख्य शीर्ष "2552" – "नागरिक आपूर्ति – निदेशन और प्रशासन – उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" के अंतर्गत लेखाबद्ध थे।

(I) Provision of ₹1136.00 lakhs (including supplementary grant of ₹335.00 lakhs) remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹825.00 lakhs (including supplementary grant of ₹330.00 lakhs) alone accounted for under Major Head "2552" - "Civil Supplies - Direction and Administration-Consumer Protection Cell" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन – उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" के अंतर्गत – ₹5204.00 लाख का प्रावधान ₹2592.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹7796.00 लाख तक बढाया गया था जो, तथापि, विदेशी विक्रेता द्वारा हार्डवेयर के संघटकों को भेजने में देरी होने के कारण वीसी सुविधा की स्थापना नहीं हो पाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण ₹1097.03 लाख अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration - Consumer Protection Cell" - the original provision of ₹5204.00 lakhs was augmented to ₹7796.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹2592.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1097.03 lakhs- due to non-commissioning of VC facility owing to delay in shipment of components hardware by overseas vendor and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष "3425" – "अन्य – नेशनल टेस्ट हाउस – सैपंल टेस्टिंग सेंटर" के अंतर्गत – ₹786.60 लाख की बचत (₹5388.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन के चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3425" - "Others - National Test House - Sample Testing Centre" - saving of ₹786.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5388.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआं:–

2. In the capital section of grant, savings/excess occurred under the following heads:-

(I) ₹702.00 लाख का प्रावधान (₹352.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹702.00 lakhs (including supplementary grant of ₹352.00 lakhs) remained wholly unutilized under four heads.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹400.50 लाख का अधिक व्यय हुआ जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 59 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹400.50 lakhs occurred constituting 59 percent of the total sanctioned provision.

3- *उपभोक्ता कल्याण निधि :–*

3. *Consumer Welfare Fund :-*

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके बनाए गए नियमों के अनुसार उपभोक्ता के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग करने के लिए की गई थी। केंद्रीय उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत जो धनराशि विनिर्माताओं को वापस नहीं की जाती है उसे इस निधि में जमा किया जाता है।

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

उपभोक्ता कल्याण निधि नियमों को 25 नवबंर, 1992 को अधिसूचित किया गया था। तत्पश्चात् केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिशों के आधार पर इन नियमों में 27 जनवरी, 1994 में और संशोधन किया गया ताकि इसे और वृहत बनाया जा सके। नियमों में परवर्ती संशोधन

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based.

16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को किए गए। राजस्व विभाग द्वारा निधि की स्थापना की गई है लेकिन उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिए और स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

2023–24 के लिए निधि का लेखा निम्नवत् थाः–

The Account of the Fund for 2023-24 was as follows:-

(हजार रुपए में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	332,40,52
प्राप्तियां	Receipts	2,21,15
भुगतान	Payments	36,83,47
अंत शेष	Closing Balance	297,78,20